न्यायालय अति0जिला कलेक्टर, टोंक

(सुरेश चौधरी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02/2024
प्रविष्टि दिनांकः– 13.03.2024

ग्राम पंचायत पनवाड पंचायत समिति देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.) जरिये सरपंच पूरणमल

...........रिवीजनकर्ता

बनाम

किशनलाल नागर पुत्र रामचन्द्र नागर निवासी दोलता उर्फ माधोसिंहपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज.

....................विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत एक्ट 1994 बाबत निरस्त किये जाने पट्टा 64 मिसल नम्बर 64/2022 दिनांक 05.07.2022

उपस्थितः (1) श्री संजय कुमार जैन, अभिभाषक रिवीजनकर्ता
(2) विपक्षीगण किशनलाल नागर अनु.।

निर्णय दिनांक 13.06.2024

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत पनवाड पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा दिनांक 05.07.2022 को जरिये मिसल नम्बर 64/2022 एक पट्टा विलेख (आवासीय भूमि का पट्टा) प्रारूप 23 क (157) (1) के तहत अपने संकल्प संख्या 04 द्वारा जारी किया तथा उसके पश्चात् विपक्षीगण ने उक्त पट्टा विलेख को उपपंजीयक देवली के यहां पंजीबद्ध करवा लिया। उक्त पट्टे को गलत तथ्यों के आधार पर जारी होना बताते हुए निगरानीकर्ता ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण किशनलाल नागर ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। अभिभाषक रिविजनकर्ता की बहस सुनी गई।

अभिभाषक रिविजनकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त पट्टा विलेख वास्तविक तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक

योग्य है। विपक्षीगण ने ग्राम पंचायत के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करके ग्राम पंचायत से उक्त पट्टा आबादी भूमि का जारी करवा लिया जबकि उक्त भूमि को जो पट्टा जारी किया गया है वह भूमि आबादी भूमि में नहीं है बल्कि वह भूमि चरागाह खसरा नं. 732/213 है। चरागाह भूमि में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। उक्त पट्टा सहवन व भूलवश आबादी भूमि के स्थान पर चरागाह भूमि में से जारी करने में आ गया। ग्राम पंचायत को विधि अनुसार जो भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में होती है उसी का पट्टा जारी करने का विधिक अधिकारी होता है।

अभिभाषक ने कथन किया कि उक्त पट्टे की जांच पूर्ण हो चुकी है और उक्त पट्टा पब्लिक पॉलिसी के विरूद्ध जारी हुआ है। ग्राम पंचायत की बैठक में सम्पूर्ण कोरम द्वारा उक्त पट्टे को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 07 के द्वारा निरस्त करने का निर्णय लिया गया है और उक्त प्रस्ताव के तहत विपक्षीगण को जरिये नोटिस सूचित भी किया जा चुका है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन हैं कि निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षीगण के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 64 मिसल संख्या 64/2022 को निरस्त किया जावें।

विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया। विपक्षीगण ने अपने जवाब में अंकित किया हैं कि ग्राम पंचायत पनवाड द्वारा उसे जो पट्टा जारी किया गया है वह सहवन से चरागाह भूमि में गलत जारी किया गया है। उक्त पट्टा संख्या 64 निरस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया।

हमने अभिभाषक निगरानीकर्ता की बहस को सुना एवं मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, ग्राम पंचायत पनवाड़ की पट्टा सं. 64 की पत्रावली व विपक्षीगण के जवाब का आद्योपान्त अध्ययन किया। ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली से स्पष्ट होता हैं कि ग्राम पंचायत पनवाड़ द्वारा जो पट्टा सं. 64 विपक्षीगण को जारी किया गया है, वह खसरा नं. 732/213 में जारी किया गया है तथा पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी से स्पष्ट होता हैं कि उक्त भूमि चरागाह भूमि हैं एवं चरागाह भूमि में पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। विपक्षीगण ने भी अपने जवाब में उसे जारी पट्टे को निरस्त करने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार की जाकर कर ग्राम पंचायत पनवाड, पंचायत समिति देवली द्वारा दिनांक 05.07.2022 को विपक्षी किशनलाल नागर पुत्र रामचन्द्र नागर के पक्ष में जारी किया गया पट्टा सं. 64 मिसल नम्बर 64/2022 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज 13.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(सुरेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
अति0 जिला कलेक्टर,टोंक